संलग्नक – 1

1

मेसर्स पुष्प स्टील्स एंड माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड, हाहालददी हिल्स आयरन ओर माईन्स (उत्खनन क्षमता –4.0 लाख टन/वर्ष), तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 30.07.2007 (स्थान :– जनपद कार्यालय भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) का कार्यवाही विवरण :–

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हाल ही में पूर्व में लागू इन्व्हारमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, 1994 को अधिकमित कर एस. ओ. 1533 (ई), दिनांक 14.09.2006 के द्वारा इन्व्हारमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट नेटिफिकेशन, 2006 लागू कर दिया गया है । यह नोटिफिकेशन भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 14.09.2006 से प्रभावशील है । उद्योगों एंव प्रोजेक्टस के लिए भारत का राजपत्र 14 सितम्बर 2006 के बिन्दू कमांक 4.0 अनुसार लोक सुनवाई पेनल की संरचना की गई।

मेसर्स पुष्प स्टील्स एंड माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड, हाहालददी हिल्स आयरन ओर माईन्स तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) में प्रस्तावित आयरन ओर माईन्स (उत्खनन क्षमता – 4.0 लाख टन/वर्ष), हेतु ई.आई.ए. नोटिफिकेशन में वर्णित अद्योगों की सूची में सम्मिलित है। अतः इस परियोजना के लिए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई आज दिनांक 30.07.2007 को प्रातः 11.00 बजे (स्थान :– जनपद कार्यालय भानुप्रतापपुर, जिला– उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) में निर्धारित की गई ।

इस लोक सुनवाई की सूचना नियमानुसार एक माह पूर्व स्थानीय समाचार पत्रों एवं नेशनल समाचार पत्र में प्रकाशित कराई गई। तथा संबंधित व्यक्तियों तक पहुंच बाबत ड्राप्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट तथा समरी ई.आई.ए. रिपोर्ट (हिन्दी एवं अंग्रेजी) की साप्ट (सी.डी.) प्रति एवं हार्ड प्रति, जिलाध्यक्ष कार्यालय जिला–कांकेर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर, नगर पालिका परिषद कांकेर, नगर पंचायत चारामा, नगर पंचायत भानुप्रतापपुर, जनपद कार्यालय भानुप्रतापपुर, महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र कांकेर, सरपंच, ग्राम पंचायत चहरो, सरपंच, ग्राम पंचायत हानपतरी, सरपंच, ग्राम पंचायत खुटगांव, , सरपंच, ग्राम पंचायत कन्हारगांव, , सरपंच, ग्राम पंचायत नारायणपुर, सरपंच, ग्राम पंचायत दुर्गुकोन्दल, जिला–कांकेर, डॉयरेक्टर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केन्दिय पर्यावरण भवन लिंग रोड नं. – 3 रविशंकर नगर भोपाल मध्यप्रदेश, सदस्य सचिव छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल सिविल लाईन्स रायपुर को प्रेषित की गई तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय

कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, एच.आई.जी. 5 एवं 6 अघनपूर हाउसिंगबोर्ड कालोनी धरमपूरा जगदलपूर में भी अवलोकन हेतु रखा गया ।

लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए मेसर्स पुष्प स्टील्स एंड माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड द्वारा परियोजना की विस्तृत रूप रेखा प्रस्तुत की गई।

लोक सुनवाई के संदर्भ में प्राप्त आपत्तियों / सुझावः–

1. (अ) श्री असित भटटाचार्य (वरिष्ठ राष्ट्रवादी नागरिक), मकान नं. 1066/21 रमण मंदिर फाफाडीह रायपूर के द्वारा दिनांक 19.07.2007 को लिखित आपत्ति दर्ज की गई है। जिसमें उनके द्वारा प्रस्तावित माईन्स को पर्यावरणीय स्वीकृति नही दिये जाने संबंधी कंडिका 1 से 12 तक बिन्दुवार आपत्ति दर्ज की गई। (ब) श्री असित भटटाचार्य (वरिष्ठ राष्ट्रवादी नागरिक), मकान नं. 1066/21 रमण मंदिर फाफाडीह रायपूर के द्वारा दिनांक 19.07. 2007 को लिखित आपत्ति दर्ज की गई है। जिसमें उनके द्वारा प्रस्तावित माईन्स को पर्यावरणीय स्वीकृति नही दिये जाने संबंधी कंडिका 1 से 9 तक बिन्दुवार आपत्ति दर्ज की गई।

2. श्री अरविंद कुमार शर्मा सी.–सेक्टर –2 देवेन्द्र नगर रायपूर के द्वारा दिनांक 19.07.2007 को लिखित आपत्ति दर्ज की गई है। जिसमें उनके द्वारा प्रस्तावित माईन्स को पर्यावरणीय स्वीकृति नही दिये जाने संबंधी कंडिका 1 से 6 तक बिन्दुवार आपत्ति दर्ज की गई।

लोक सुनवाई में उपस्थित

1. श्री अलोक डे प्रतिनिधि अक्षय इस्पात रायपूर :– आपने जो डाटा लिए है कब लिए पूर्वेक्षण का डाटा कब लिए । क्या वो आई.बी.एम. के द्वारा मान्य किये गये है ? माईनिंग लीज हेतु पूर्वेक्षण कार्य अनिवार्य है। पुष्प स्टील द्वारा उस क्षेत्र का कोई भी पूर्वेक्षण नही कराया गया है। आपने कहा कि रांची इंडस्ट्रीज द्वारा रिपोर्ट बनाया गया है । जबकि इस रिपोर्ट में उसका कही नाम एवं हस्ताक्षर दर्ज नही है। जो भी डाटा प्रोजेक्टर में दिखाया गया है ओ 2001 का है। अभी का नही है। स्थिति स्पष्ट करो ?

2. श्री गोपाल झा काइम लुक, ब्यूरो चीफ, छत्तीसगढ– छ.ग. सरकार की खनिज नीति क्या है? जब यहा इनकी इण्डस्ट्रीज नही है तो इन्हे माइन्स क्यो दी जा रही है? जब इनका पेन्डिग माइन में नाम ही नही है तो लोकसुनवाई क्यो हो रहा है? इनका रनिंग प्लान्ट कहा है? पुष्प स्टील का कोई भी छ.ग. में प्लान्ट नही है तो उन्हे माइन लीज क्यों दी जा रही है? और लोक सुनवाई क्यों की जा रही है ?

3. श्री अरविन्द शर्मा रायपुर :— 13.04.2007 का ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ पेज नं. 8 का रेपिड ई.आई.ए. का अवलोकन करें। जो रिपोर्ट सम्मिलित किया है उसका टर्म्स आफ रिफरेंस क्या संलग्न किया गया है ?

4. श्री गोपाल झा :— वायु की गुणवता की रिपोर्ट जो दर्ज किये है। उसमें बोला गया है कि प्रदूषण नही होगा जब आप खनन करेगें उसमें ठोस अपशिष्ट निकलेगा ही। जो वहा के प्राकृतिक पेड़ पौधों है काटने के बाद वही पेड़ कैसे लगा पायेगा ? पानी की स्थिति क्या है उसका उल्लेख करें। कुल वृक्षारोपण कितने एरिया में करेगें।

आप कहते है कि जल प्रदूषण नही होगा कैसे ? 140 व्यक्ति को रोजगार देगें एवं बाकी जनता भूखों मरेगी क्या ? स्पष्ट करें ।

5. श्री शिवलाल निषाद आमावाड :— जंगल है कई जडी बूटी वाले पेड है तो उत्खनन होने पर क्या वह जडी बूटी वाले पेड लगाये जाऐंगे । उनका वृक्षारोपण क्या होगा अगर होगा तो कहा होगा ? साथ ही स्थानीय लोगों हेतु रोजगार की मांग की गई ।

6. श्री कृष्ण कुमार दुग्गा, सरपंच, ग्राम पंचायत सम्बलपुर :— आपके द्वारा जो रोजगार दिया जाय उसमें सभी पंचायतों के लोगों को शामिल किया जाय।

7. श्री दादूसिंह सरपंच, ग्राम पंचायत सम्बलपुर :— उन्होने बताया कि वे स्वयं माईनिंग इंजिनीयर है उनके द्वारा कहा गया कि स्थानीय लोगो को ही हर पद पर नियुक्ति किया जाय। जो थोड़ा पढे लिखे है उन्हे ट्रेनिंग दी जाय यहां पर लोकल को ही रोजगार दिया जाय।

8. श्री अजय शर्मा ए.एन.आई. ब्यूरो रायपुर :— जो माईनिंग प्रकिया चलेगी उसमें कौन सा ईधन उपयोग करेगें अगर बिजली से प्रोसेसिंग होगी तो कहा से बिजली लेंगे।

9. श्री रमाकान्त शर्मा उपमीडिया प्रभारी भा.ज.श.पा. किसान राईस मिल के पिछे ब्रम्हाचन्द्र ठाकूर कांकेर :— जो हिन्दी और अंग्रेजी समरी रिपोर्ट है उसे पड़ने के बाद रिलीज की गई है क्या ? उसमें बहुत सारी कमिया है उसके बारे में स्पष्ट कीजिए।

क्या 4.0 लाख टन उत्पादन आपके बताये गये रोजगार संख्या 140 से ही हो जायेगी वृक्षा रोपण के बारे में स्थिति स्पष्ट करें। अगर किसी कर्मी की नक्सलाईट गतिविधियों के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है ?

10. श्री शिवराज निषाद हानपतरी पंचायत :– हमारे गांव के आसपास के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

11. श्री वृजलाल बघेल गांव हानपतरी :– हानपतरी पंचायत के बहुत लोग पढे लिखे है उन्हे रोजगार मिलना चाहिए।

12. श्री मेवालाल :– हाहालदी पहाडी चिहरो पंचायत के पास है रोजगार यहा के लोगों को रोजगार दिया जाय।

13. सरपंच चिहरों :– पुष्प स्टील प्लांट तत्काल खोला जाए तथा हमारे पंचायत के लोगों को रोजगार दिया जाय।

14. श्री आलोक डे प्रतिनिधि अक्षय इस्पात रायपुर :– मेरे द्वारा तथा असीत भट्टाचार्य एंव अरविन्द शर्मा द्वारा लिखित में दी गई आपत्ति श्री गोपाल झा एवं अजय शर्मा पत्रकार द्वारा उठाये गये आपत्ति को ध्यान से देखकर उचित निराकरण करें एवं क्षेत्र विवाद है इसलिए जब तक विवादित क्षेत्र का निराकरण नही हो जाता तब तक कोई पर्यावरणीय स्वीकृत जारी न की जाए प्रस्तुत दस्तावेज को देखा जाय।

15. श्री विजय पटेल हानपतरी पंचायत :– जहां पर काम प्रारम्भ होने जा रहा है वहां के क्षेत्र से लगे गांव एवं पंचायतों के लोगों को रोजगार मिलना चाहिये तथा प्रत्येक परिवार के एक आदमी को रोजगार दिया जाय।

16. श्री भागवत राम पिस्दा, गुलाल बोडी :–हम लोग बहुत गरीबी से जीते हैं जिससे हम लोगों को ही रोजगार दिया जाय तथा पुष्प स्टील खुलना चाहिए।

17. कमलेश्वर सलाम चेमल :– हमारे गांव के लोगें को रोजगार मिले तथा खदान खुलना चाहिए।

18. श्री रामदेव राम ग्राम चेमल :– वर्तमान एक खेती पर सभी निर्भर है अगर स्टील प्लांट खुल जायेगा तो हम सभी को बारों माह रोजगार प्राप्त होगा।

19. श्री रामलाल ग्राम चिहरो :– रोजगार मिलना चाहिए चार माह खेती करतें है उसके बाद रोजगार नही रहता है। स्टील प्लांट खुलने से रोजगार प्राप्त होगा।

20. माननीय श्री देवलाल दुग्गा, विधायक :– हमारे लिए जनता सर्वोपरि है जनता हित के लिए के लिए कार्य होना चाहिए। अगर प्लांट नही लगेगा तो

उत्खनन नही होगा । पहले आप यहां प्लान्ट लगाईये यहा की जनता पूरा सहयोग करेगी। जन सुनवाई दुर्गकोंदल में होना चाहिए, साथ ही इस परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार देने हेतु कहा गया।

लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त सभी आपत्तियों एंव प्रश्नों का उद्योग प्रबंधन द्वारा समाधान कारक उत्तर दिया गया जो कि उद्योग द्वारा प्रस्तुत कार्यपालक सार में निहित है, तथा ग्रामवासियों की भावना के अनुरूप कार्य करने का आश्वासन दिया गया।

अंत में लोक सुनवाई पैनल ने मत व्यक्त किया कि सभी प्राप्त आपत्ति/सुझाव एवं ग्रामवासियों की मांगो पर ध्यानपूर्वक विचार किया जावें तथा परियोजना प्रबंधन द्वारा ऐसी पुख्ता व्यवस्था की जाये जिससे कि परियोजना से किसी भी तरह का जल/वायु, ध्वनि व मृदा प्रदूषण की स्थिति निर्मित न हो। लोक सुनवाई का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था उसी दौरान क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री देवलाल दुग्गा उपस्थित हुए और उन्होने भानुप्रतापपुर की लोक सुनवाई को मान्य नही करते हुए दुर्गकोन्दल में लोक सुनवाई कराये जाने हेतु कहा गया। चूंकि लोक सुनवाई हेतु स्थल जनपद कार्यालय भानुप्रतापपुर में निर्धारित किया जा चुका था लोक सुनवाई बार-बार नही करायी जाती है अतः इसी स्थल पर सम्पन्न लोक सुनवाई मान्य करने की अनुशंसा की जाती है। ग्राम वासियों ने स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने, शिक्षा , चिकित्सा, तकनीकी प्रशिक्षण आदि दिये जाने की शर्त के साथ हाहालददी हिल्स आयरन ओर माईन्स प्रोजेक्ट लगाने हेतु स्वीकृति दी है। उद्योग प्रबंधन द्वारा माईन्स चालू करने पर नियमानुसार सभी सुविधाएँ दिये जाने की वचनबद्धता दी गई है, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय स्वीकृति दी जाये।

1. अपर जिला मजिस्ट्रेट,
   जिला – उत्तर बस्तर कांकेर
2. क्षेत्रीय अधिकारी,
   छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल जगदलपुर।

30/7/07